 भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 715

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

**इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता को पुख्ता बनाना**

**+715. श्रीमती छाया वर्मा :**

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चुनावों में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) द्वारा निर्मित चिप के साथ छेड़छाड़ के आए नए तथ्यों की जांच कराने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, जिससे ईवीएम की विश्वसनीयता बरकरार रखी जा सके ; और

(ख) ईवीएम को लेकर लगातार उठने वाले संदेहों को दूर करने के लिए गत पांच वर्ष़ों में जांचे गए तकनीकी पहलुओं की संख्या का ब्यौरा क्या है जिसके आधार पर ईवीएम की विश्वसनीयता पुख्ता हुई है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :** भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सूचित किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) चिप के साथ कोई छेडछाड़ करने के बारे में किसी भी प्रकार का कोई तथ्य या साक्ष्य आयोग के ध्यान में नहीं आया है । भारत निर्वाचन आयोग- इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की विश्वसनीयता इसके आरम्भ होने के समय से ही नितांत रूप से अविकल और खरी रही है । इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के साथ संभव छेड़छाड़ के मुद्दे की समीक्षा देश में विभिन्न न्यायालयों, जिनमें उच्चतम न्यायालय भी है, द्वारा की गई है और इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के उपयोग में अन्तर्वलित प्रौद्यौगिकीय मजबूती और प्रशासनिक उपायों के भिन्न-भिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात्, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें विश्वसनीय, भरोसेमंद तथा पूर्णतया छेड़छाड़रोधी हैं ।

आविर्भावी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय उन्नति को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति पुरानी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की विद्यमान सुरक्षा सम्बन्धी विशेषताओं के अतिरिक्त नवीनतम प्रौद्योगिकीय विशेषताओं को समाविष्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के डिजाइन में आवधिक रूप से सुधार करती है । इसके अतिरिक्त, मतदाता सत्यापनीय पेपर संपरीक्षा ट्रेल (वीवीपीएटी) यूनिट भी और पारदर्शी उपाय के रूप में आरम्भ की गई है । आयोग ने यह कथन किया है कि वह लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के सभी भावी निर्वाचनों में 100 प्रतिशत मतदाता सत्यापनीय पेपर संपरीक्षा ट्रेल (वीवीपीएटी) यूनिट कवरेज के लिए प्रतिबद्ध है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*